PTCUL

# पावर ट्रॉंसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि0
(उत्तराखण्ड सरकार का उपक्रम)
CIN:- U40101UR2004SGC028675
मानव संसाधन एवं प्रशासनिक विभाग
विद्युत भवन, नजदीक–आई0एस0बी0टी0 क्रासिंग, सहारनपुर रोड़, माजरा, देहरादून–248002
E-mail:- hr@ptcul.org
दूरभाष नं0 0135–2645249 फैक्स नं0 0135–2645249 वैबसाइट www.ptcul.org

पत्रांक 1514 /मा0सं0एवंप्र0वि0/पिटकुल/ईडब्लू–4 दिनांक : 29.09.2025

## कार्यालय परिपत्र

राज्य में आयी भीषण आपदा एवं उसके बचाव कार्यों के दृष्टिगत आर्थिक रूप से सहयोग की भावना रखते हुये राज्य हित में पूर्णकालिक कार्मिकों (स्वैच्छा से) के माह सितम्बर, 2025 (भुगतान माह अक्टूबर, 2025) को देय वेतन से एक दिन के वेतन (मूल वेतन+मंहगाई भत्ता) "मुख्यमंत्री राहत कोष" (Chief Minister Relief Fund) में जमा कराये जाने का निर्णय लिया गया है।

स्वेच्छा से एक दिन के वेतन (मूल वेतन+मंहगाई भत्ता) "मुख्यमंत्री राहत कोष" (Chief Minister Relief Fund) में जमा कराये जाने हेतु पूर्णकालिक कार्मिकों द्वारा अपनी सहमति (प्रारूप संलग्न) अपने आहरण–वितरण को उपलब्ध करायी जाएगी तथा पिटकुल के समस्त आहरण–वितरण अधिकारियों द्वारा कार्मिकों के वेतन से की गयी कटौती की सूचना महाप्रबन्धक (वित्त), पिटकुल, देहरादून को उपलब्ध करायी जाएगी।

इसके उपरान्त कुल धनराशि "मुख्यमंत्री राहत कोष" (Chief Minister Relief Fund) में जमा कराये जाने हेतु कार्यवाही महाप्रबन्धक (वित्त), पिटकुल द्वारा की जाएगी। आहरण–वितरण अधिकारियों से प्राप्त सूचना के आधार पर महाप्रबन्धक (वित्त), पिटकुल द्वारा समस्त इकाईयों के एक दिन के वेतन (मूल वेतन+मंहगाई भत्ता) की धनराशि को रोकते हुये निधि मांग (वेतन मद) की धनराशि निर्गत की जाएगी।

उक्त धनराशि आयकर अधिनियम–1961 की धारा 80 जी के अन्तर्गत पूर्णतः छूट हेतु अनुमन्य होगी। उक्त धनराशि का उल्लेख वित्तिय वर्ष 2025–26 के फॉर्म–16 में किया जाएगा।

**संलग्नः–यथोपरि**

प्रबन्ध निदेशक

**पत्रांकः 1514 /मा0सं0एवंप्र0अनु0/पिटकुल/ ईडब्लू–4 तद्दिनांक**

**प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–**

1. निजी सचिव, प्रबन्ध निदेशक, पिटकुल देहरादून को प्रबन्ध निदेशक महोदय के संज्ञानार्थ प्रेषित।
2. निजी सचिव/डाटा एन्ट्री ऑपरेटर, निदेशक (मा0सं0)/(परिचालन)/(परियोजना)/(वित्त), पिटकुल को निदेशकगणों के संज्ञानार्थ प्रेषित।
3. समस्त मुख्य अभियन्ता/महाप्रबन्धक/कम्पनी सचिव/समस्त अधीक्षण अभियन्ता/उपमहाप्रबन्धक, पिटकुल.....।
4. समस्त आहरण–वितरण अधिकारी, पिटकुल को इस आशय के साथ कि उनकी आहरण–वितरण इकाईयों में कार्यरत कार्मिकों से सहमति प्राप्त कर उनके वेतन से उक्त कटौती करते हुये कटौती की सूचना महाप्रबन्धक (वित्त), पिटकुल, देहरादून को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।
5. समस्त अधिशासी अभियन्ता, पिटकुल,...........................।
6. अधिशासी अभियन्ता (मु0भु0इ0), पिटकुल, देहरादून को इस आशय के साथ प्रेषित कि उक्त आदेश को पिटकुल की वैबसाईट पर अपलोड करवाना सुनिश्चित करें।
7. सूचना पट्ट।

(अशोक कुमार जुयाल)
महाप्रबन्धक (मा0सं0)

# सहमति पत्र

मै.............................................................(कार्मिक का नाम),..................................................(कार्मिक का पदनाम), ..................................................(तैनाती स्थान) कारपोरेशन के कार्यालय ज्ञाप संख्या 1514 /मा0सं0एवंप्र0वि0/पिटकुल/ईडब्लू–4 दिनांक 29.09.25 के अनुपालन में राज्य में आयी भीषण आपदा एवं उसके बचाव कार्यों के दृष्टिगत आर्थिक रूप से सहयोग की भावना रखते हुये राज्य हित में अपनी स्वेच्छा से माह सितम्बर, 2025 (भुगतान माह अक्टूबर, 2025) को देय वेतन से एक दिन के वेतन (मूल वेतन+मंहगाई भत्ता) "मुख्यमंत्री राहत कोष" (Chief Minister Relief Fund) में जमा कराये जाने की सहमति प्रदान करता हूँ।

**दिनांकः–**

**कार्मिक का नाम**..........................................

**पदनामः–**..................................................

**तैनाती स्थानः–**.........................................

मुख्यालय एवं पंजीकृत कार्यालयः– विद्युत भवन, नजदीक–आई0एस0बी0टी0 क्रासिंग, सहारनपुर रोड़, माजरा, देहरादून – 248002
दूरमाष नं0 0135–2646000 फैक्स नं0 0135–2643460 वेबसाइट www.ptcul.org

G:\EW-4.doc